

22.6.20

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. र
मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली
वास्ते वकील दिनांक 25.6.20
को पेश हो।

Signature

25.6.20

पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण कोर्ट
न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O. र
मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली
वास्ते वकील दिनांक 3.7.20
को पेश हो।

Signature

3.7.20

पत्रावली पेश / वकील जार्जी उपर
बलक वकील जार्जी लुनी / करे ह साय
प्रमुख इलाके शामिल मिले किये
गये। वास्ते कोर्ट 10.7.20 को पेश हो।

10.7.2020

पत्रावली पेश / वकील पसकार उपस्थित
है। वकील जार्जी को पुनः सुना गया (पत्रा-
वली का आद्योपान्त अवलोकन किया)।
जार्जी द्वारा जार्जना पत्र में अंकित किये
गये लक्ष्य, वांचित अनुलोषादि, जार्जी डाटा
जार्जना पत्र के समर्थन में प्रमुख इलाके
रिपोर्ट आदि पर सम्यक अनुशीलन
मन्नन किया गया।



Signature
उप-अध्यक्ष
प्रमाणमंडी

इस प्रकार स्वयं एवं पंचमन के विरुद्ध
पाठ विचार करने पर हम यह पाते हैं कि
उक्त शक्ति पर स्वयं सम्पन्न राज्य का
विषय है।

पण्डित श्रीमि पाठ शां फल के आधार पर
पर स्वयं लय नहीं किया जा सकता।

शायी का उक्त शक्ति पर स्वयंभाव
में किसी प्रकार की शक्ति प्रथम
उल्लेख ही प्रकर नहीं होती है।

शायी द्वारा शक्ति ग्राम ईश्वरपुर की
श्रीमि खसरा नम्बर 407 जो साविक खसरा नम्बर
264 से ही बनाया जाना बला कर उसका
आवेदन श्रीमि 207 जो 152 फिट लम्बी
परीच 120 शक्ति शक्ति लेना बला कर
कर बाद मय शां फल प्रमुख किया है।

क्याल खसरा नम्बर 407 (शां) की उसका
आवेदन श्रीमि ही है, यह केवल कर
दुर्ग बाद मय शां फल प्रमुख किया है।

यह लय शां फल की मद नम्बर 2, 7, 8, 14
आदि में विवेचित/उल्लेखित है।

पण्डित इस प्रकार में कमान योग्य लय में
है कि शायी उसका खसरा नम्बर 408, 409, 410
के साथ साथ खसरा नम्बर 407 जो कि
राजकीय शक्ति है, पर अध्याधीनता के विरुद्ध
आप्लाई अपादेम चला है, जो स्वयंभाव में
नियम जाया उचित नहीं है।



Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

शर्ती को या कर्षागीत या अन्य को
खतम नं. 403 फावा 0.65 हेक्टर पर क्या खेती
जाता है ? या रोने चालिये ? इसका विनिश्चय
इलाहाद में लम्बक सागर एवं समुचित परीक्षणोपचार
विधि अनुसार भेदित पा लोना है, न कि इस खत
पत्र के आधार पर।

शर्ती उनकी अन्य आपत्तियात की आड में
खसरा नम्बर 403 पर भी जादेम चालता है, जो
विधि के लुप्तगत आवधानों के मध्यमजर दिया
जाना उचित नहीं पाया जाता है।

उकाला के उफावयुक्त पर सम्यक विचार
किया जात फक की R.T. Act 1955 की धारा 212
की शर्तिय पर परीसक किया कुत विषम बरते की
जोती गोलि कलनाक उफाला हय मर पाले है,
कि जात पत्र शर्ती लीकार योग्य नहीं है।

कतः उफावयुक्त के आधार पर शर्तीना
पत्र शर्ती खारिज किया जाता है फकाली
की निर्मित में गठाना की जाकर इलाहाद
मि.के. 153/2019 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2020 को मेट
अस लिवाया जाकर विद्वत न्यायालय में
सुनाया गया।

उप बंड अधिकारी
(निमनलाल श्रीवा) R.A.S.

